न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली, जिला–करौली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गुंजन फौजदार (आर.जे.एस.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 67/2019 पुलिस थाना– मंडरायल
फौजदारी प्रकरण संख्या : 1968/2019
सी.आई.एस. संख्या : 1968/2019
सी.एन.आर. संख्या : *RJKR020029912019*

सरकार – अभियोजन

ब ना म

घनश्याम –अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

परिवादी	रामकेश पुत्र गुट्टू, निवासी कसेड, थाना करणपुर, जिला करौली।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, करौली
अभियुक्त का नाम व पता	घनश्याम पुत्र रामचरण, निवासी कसेड, थाना करणपुर, जिला करौली, राजस्थान।
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी	श्री उमा शंकर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री धीरसिंह

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

एफ.आई.आर. दर्ज होने की तारीख	24.09.2019
प्रसंज्ञान की दिनांक	11.10.2019
आरोप सुनाने की दिनांक	11.10.2019
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	31.01.2020
निर्णय सुनाने की दिनांक	06.07.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	लागू नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की संख्या	01
अभियुक्त का नाम	घनश्याम
आरोपित अपराध	279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता
दोशसिद्ध या दोशमुक्त	338 भा.दं.सं. दोषमुक्त, 279,337 भा.दं.सं. दोषसिद्ध

अभियोजन साक्षियों की सूची

क. सं.	पी.डब्ल्यू	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01	01	तुलसीराम	मजरूबान
02	02	ऋषिकेश	मजरूबान
03	03	रामरज	नक्शा मौका का गवाह
04	04	रामकेश	परिवादी
05	05	रामसहाय	मजरूबान
06	06	अतरसिंह	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी
07	07	लक्ष्मण	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी
08	08	डॉ. राजपाल मीणा	चिकित्सकीय साक्षी
09	09	ठाकुरलाल	फर्द जप्ती
10	10	श्रीकिशन	अनुसंधान अधिकारी
11	11	शिवसिंह	फर्द जप्ती
12	12	प्रमोद कुमार	मैकेनिकल मुआयना

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी 1	चोट प्रतिवेदन तुलसीराम
2	प्रदर्श पी 2	चोट प्रतिवेदन ऋषिकेश
3	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 4	तहरीरी रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी 5	चाक एफआईआर
6	प्रदर्श पी 6	चोट प्रतिवेदन रामसहाय
7	प्रदर्श पी 7	एक्सरे रिपोर्ट तुलसीराम
8	प्रदर्श पी 8	एक्सरे रिपोर्ट घनश्याम/फर्द जप्ती जीप नं. आरजे 34 यूए 1912
9	प्रदर्श पी 9	फर्द डैमेज मोटरसाईकिल नं. आरजे 34 एसपी 5686

10	प्रदर्श पी 10	फर्द सुपुर्दगी अस्थाई क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल
11	प्रदर्श पी 11	नोटिस 133 एमवी एक्ट घनश्याम
12	प्रदर्श पी 12	नोटिस 134 एमवी एक्ट घनश्याम
13	प्रदर्श पी 13	यांत्रिक निरीक्षण मोटरसाईकिल नं. आरजे 34 एसपी 5686
14	प्रदर्श पी 14	यांत्रिक निरीक्षण जीप कमांडर नंबर आरजे 34 यूए 1912

निर्णय दिनांक :– **06.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2019 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी रामकेश पुत्र गुट्टू ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 22.09.2019 को शाम करीब 5 बजे परिवादी रामकेश का भाई ऋषिकेश व रामसहाय पुत्र हरीचरण मोटरसाईकिल नंबर आरजे 34 एसपी 5686 से करौली से अपने गांव कसेड जा रहे थे। तब ऋषिकेश व रामसहाय खिरखिन मोड पर पहुंचे तो वहां तुलसीराम मिला और मोटरसाईकिल को कच्ची सडक पर रोककर बातें करने लगे तभी एक जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 जिसको घनश्याम पुत्र रामचरण चला रहा था। गाडी को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया तथा खडी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ऋषिकेश, हरिचरण एवं तुलसी के गंभीर प्रकृति की चोटें आईं। जिनको इलाज हेतु मंडरायल अस्पताल लाया गया। जहां से तीनों को करौली रैफर कर दिया। तीनों की हालत अत्यधिक गंभीर है और तीनों को करौली अस्पताल रामकेश, अतर, लक्ष्मण एंबुलेंस से करौली अस्पताल लाए। घटना में मोटरसाईकिल पूरी तरह से टूट चुकी है इत्यादि......। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 11.10.2019 को उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के खिलाफ धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाहने पर विधिसम्मत् अन्वीक्षा की गई।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त वर्णित सारणी अनुसार साक्ष्य पेश की गई। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत

परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने गवाहों के बयानों को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु अवसर नहीं चाहा गया जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस योग्य अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अभियुक्त ने विद्वान अभियोजन अधिकारी के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना कारित नहीं की गयी। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है –

6.1 अभियुक्त घनश्याम ने दिनांक 22.09.2019 को शाम 5 बजे सरहद मौजा आम रोड मंडरायल से रोंधई करणपुर को आने जाने वाला रास्ते पर खिरकन मोड पर वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को तेजगति व लापरवाही से मानव जीवन को संकटापित करते हुए वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 34 एसपी 5686 को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के भाई ऋषिकेश व अन्य पीडित रामसहाय एवं तुलसीराम के साधारण व गंभीर चोटें आयीं?

6.2 यदि हां तो अभियुक्त को किस दण्ड से दंडित किया जावे ?

7. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक विवेचन किया जाये तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 जिसके आधार पर यह प्रकरण संस्थित हुआ है जिसमें परिवादी ने दिनांक 22.09.2019 को शाम करीब 5 बजे परिवादी रामकेश का भाई ऋषिकेश व रामसहाय पुत्र हरीचरण मोटरसाईकिल नंबर आरजे 34 एसपी 5686 से करौली से अपने गांव कसेड जा रहे थे तब रास्ते में खिरकन मोड पर तुलसीराम पुत्र रामखिलाडी मिला

जिससे मोटरसाईकिल कच्ची सडक पर रोककर बात करने लगे तब एक जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 जिसको घनश्याम पुत्र रामचरण चला रहा था। गाडी को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया तथा खडी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। जिससे मौके पर ऋषिकेश, हरिचरण व तुलसी के गंभीर प्रकृति की चोट आने का अंकन है।

8. उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रकरण का सबसे महत्वूपर्ण गवाह पी.ड 1 तुलसीराम मजरूबान है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया कि 4 साल पहले शाम पांच बजे वह खिरकन मोड साधन के इंतजार में खडा था। तभी ऋषिकेश व रामसहाय मोटरसाईकिल से आए। ऋषिकेश ने मोटरसाईकिल साईड में रोकी व वह बात करने लग गए तभी मंडरायल की ओर से एक जीप को उनके गांव का घनश्याम तेजी से लहराते हुए चलाकर लाया व उन तीनों को टक्कर मार दी जिससे उसके हाथ व पैर में चोट आई व ऋषिकेश, रामसहाय के भी शरीर में चोट आई तथा मोटरसाईकिल में भी नुकसान हो गया था। एक्सीडेंट करने वाली जीप का नंबर 1912 था। फिर उसने एक्सीडेंट की सूचना ऋषिकेश के भाई रामकेश को दी। फिर वहां अतर, रामकेश, लक्ष्मण आ गए और उन्हें उठाकर मंडरायल अस्पताल ले गए जहां से उन्हें करौली रैफर कर दिया। उसकी चोटों की एमएलआर प्रदर्श पी 1 जिस पर उसकी अंगूठा निशानी होने का कथन किया। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि मोटरसाईकिल रामसहाय की थी जिसको ऋषिकेश चला रहा था। मोटरसाईकिल का क्या नंबर था उसे नहीं पता। मोटरसाईकिल पर ऋषिकेश व रामसहाय बैठे थे वह गाडी पर नहीं था। उसके शरीर पर 2–3–4 जगह चोटें आई थी कोहनी व पैर में खून निकला था। चोटों का कागज डॉ0 साहब ने बनाया था। इस सुझाव से इनकार किया कि गाडी फिसलने के कारण उसके चोटें आई हों।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड 2 ऋषिकेश जो कि मजरूबान है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2019 को करीब शाम पांच बजे वह व रामसहाय मोटरसाईकिल से करौली से दवाई लेकर अपने गांव आ रहे थे तभी खिरकन मोड से आगे उनको तुलसीराम मिला। वे मोटरसाईकिल को रोककर तुलसीराम से बात करने लग गए तभी मण्डरायल की ओर से तेजी से लहराते हुए घनश्याम जीप नंबर आरजे 34–1912 को लेकर आया और उसने उनके टक्कर मार दी जिससे उसके दोनों हाथों व कंधों, पैरों और शरीर में कई जगह चोटें आईं तथा रामसहाय के पसलियों में और तुलसीराम के घुटने में फ्रैक्चर और शरीर में अन्य जगह चोटें आई। फिर उसके भाई रामकेश को तुलसीराम ने फोन किया तो उसके गांव से उसका बडा भाई रामकेश, अतरसिंह व लक्ष्मण आए और उनको मंडरायल अस्पताल लेकर आए जहां से उनको करौली अस्पताल

रैफर कर दिया। उनकी मोटरसाईकिल भी टूट गई। उसकी एमएलआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया कि मोटरसाईकिल रामसहाय की थी जिसको वह चला रहा था। पुलिस ने उससे किस अस्पताल में पूछताछ की उसे नहीं पता वह तो बेहोश था। घटना वाले दिन बारिश का मौसम था। मोटरसाईकिल पर वह, रामसहाय और तुलसीराम बैठे हुए थे। गवाह ने इस सुझाव से इनकार किया कि मोटरसाईकिल खड्डे में चले जाने पर संतुलन बिगडने के कारण वह गिर गए हों। जिसकी वजह से उनके शरीर पर चोटें आई हों।

10. प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड 5 मजरूबान रामसहाय ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2019 को करीब शाम पांच बजे वह व ऋषिकेश मोटरसाईकिल से करौली से दवाई लेकर अपने गांव आ रहे थे तभी खिरकन मोड से आगे उनको तुलसीराम मिला। वे मोटरसाईकिल को रोककर तुलसीराम से बात करने लग गए तभी मण्डरायल की ओर से तेजी से लहराते हुए घनश्याम जीप नंबर आरजे 34–1912 को लेकर आया और उसने उनके टक्कर मार दी जिससे उसके बायें, हाथ, पीठ और शरीर में कई जगह चोटें आई एवं ऋषिकेश और तुलसीराम के भी शरीर पर कई जगह चोट आई थीं। फिर रामकेश को तुलसीराम ने फोन किया तो उसके गांव से उसका बडा भाई रामकेश, अतरसिंह व लक्ष्मण आए और उनको मंडरायल अस्पताल लेकर आए जहां से उनको करौली अस्पताल रैफर कर दिया। घनश्याम उनके गांव का ही है इसलिए वह जानता है। उसकी एमएलआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 जिस पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह** गवाह ने मोटरसाईकिल को अपनी होना बताया जिसका नंबर 34 एसपी 5686 है। गवाह ने कथन किया कि मोटरसाईकिल को ऋषिकेश चला रहा था। वह और ऋषिकेश के अलावा कोई नहीं होना बताया। जीप निकलते ही वह गिर गए फिर कहा कि टक्कर मारी थी। उसके शरीर पर गिरने से तीन चोटें आई थीं। ऋषिकेश के शरीर पर उसने कोई चोट नहीं देखी थीं तथा तुलसीराम के दायें पैर में फैक्चर हो गया था। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उनकी गाडी से फिसलकर गिरने से शरीर पर चोटें आई हों।

11. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह परिवादी रामकेश पी.ड 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पांच–छः साल पहले उसका भाई ऋषिकेश और रामसहाय मोटरसाईकिल से करौली से दवाई लेकर वापस गांव कसेड जा रहे थे जैसे ही वे खिरकन मोड पहुंचे तो उन्हें तुलसीराम मिला उसने उनको रोक लिया और तीनों आपस में बात करने लग गए।

तभी एक जीप नंबर 1912 तेजी से लहराती हुई आई और परिवादी के भाई ऋषिकेश, रामसहाय और तुलसीराम के टक्कर मार दी जिसे उनके गांव का घनश्याम चला रहा था। दुर्घटना में तीनों के गंभीर चोटें आने तथा मोटरसाईकिल में नुकसान होने का कथन किया । परिवादी को दुघर्टना के बारे में तुलसीराम ने बताया तो वह, अतर, लक्ष्मण वहां पहुंचे और तीनों घायलों को मंडरायल अस्पताल इलाज हेतु लाए जहां से उन्हें करौली रैफर कर दिया। जीप को उनके गांव का घनश्याम चला रहा था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 दोनों पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 जिस पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने मेरे घटनास्थल व थाने पर दोनों जगह बयान लिए थे। गवाह ने कथन किया कि इलाज कराने की वजह से दो दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। गवाह ने यह भी कथन किया कि मोटरसाईकिल पर रामसहाय और ऋषिकेश सवार थे। रामसहाय के शरीर पर चार चोटें आने के कथन किए व ऋषि की चोट कितनी थीं यह पता नहीं होने का कथन किया। तुलसीराम के पैर में लगने का कथन किया। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह दुर्घटना स्थल पर नहीं था।

12. प्रकरण में अन्य गवाहान पी.ड 6 अतरसिंह व पी.ड 7 लक्ष्मण ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब 5–6 साल पहले रामसहाय, ऋषि और तुलसीराम का कमांडर गाडी से एक्सीडेंं हुआ था जिसके नंबर आज उन्हें ध्यान नहीं है। गाडी को घनश्याम चला रहा था जिसे उन्होंने चलाते हुए देखा। घनश्याम ने अपनी कमांडर जीप को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए रामसहाय, ऋषिकेश और तुलसीराम की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी थी। तीनों को उठाकर वे करौली अस्पताल इलाज हेतु लेकर गए थे। गवाहान ने **दौराने जिरह** यह कथन किए कि उनसे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, न ही उनके कोई हस्ताक्षर करवाये थे।

13. प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड 03 रामरज जो कि नक्शे मौके का गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दो–तीन साल पहले पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने **दौराने जिरह** कथन किया कि पुलिस ने उससे से कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर अस्पताल में कराए थे।

14. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड 9 ठाकुरलाल जो कि फर्द जप्ती का गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 27.09.2019 को थाना मंडरायल

पर कानि. के पद पर तैनात थे। उस दिन एच.सी श्रीकिशन ने मु.नं. 67/19 धारा 279, 337 आईपीसी में जीप नं. आरजे 34 यूए 1912 को उसके व शिवसिंह कानि. के सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 के जप्त किया जिस पर ए से बी ठाकुरलाल के हस्ताक्षर होना बताया। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया कि फर्द जप्ती उसकी कलमी नहीं है। फर्द जप्ती श्रीकिशन एचसी द्वारा बनाए जाने का कथन किया। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह उनके हस्ताक्षर उनके साथ काम करने से जानता व पहचानता है।

15. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड 11 शिवसिंह जो कि फर्द जप्ती का गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 27.09.2019 को थाना मंडरायल पर कानि. के पद पर तैनात थे। उस दिन एच.सी श्रीकिशन ने मु.नं. 67/19 धारा 279, 337 आईपीसी में जीप नं. आरजे 34 यूए 1912 को उसके व ठाकुरलाल कानि. के सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 के जप्त किया जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर होना बताया। **दौराने जिरह** गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 पर निष्पक्ष गवाह के हस्ताक्षर हैं। फर्द जप्ती रौंधई मोड पर बनाई थी। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया कि फर्द जप्ती बनाते समय मौके पर निकट आबादी घर थे गवाह हेतु बुलाने का प्रयास किया किंतु कोई नहीं आया।

16. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड 8 डॉ. राजपाल मीणा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 25.09.2019 को वह सामान्य अस्पताल करौली में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मजरूबान ऋषिकेश, रामसहाय, तुलसीराम के चोट प्रतिवेदन तैयार करने और ऋषिकेश के कुल 7 चोटें होना तभा सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थीं। चोट नं. 1 गंभीर प्रकृति तथा चोट नं. 2 लगायत 7 साधारण प्रकृति की होना बताया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 है। उक्त आहत रामसहाय के कुल 4 चोटें साधारण प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित होना बताया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है एवं तुलसीराम के 3 चोटें सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित होना बताया एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 7 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। **दौराने जिरह** गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसके पास रेडियोलॉजिस्ट का डिप्लोमा डिग्री नहीं है। फिर कहा कि उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। वह मेडिकल ज्यूरिष्ठ और सर्जन है। गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि उसने सभी चोटें मजरूबान के बताने पर लिखी हों।

17. प्रकरण के अन्य गवाह अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड 10 श्रीकिशन ने अपने

मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 24.09.2019 को थाना मंडरायल पर एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन मु.नं. 67/19 धारा 279, 337 आईपीसी की पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसको सुपुर्द की गई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया जिस पर जी से एच गवाह के हस्ताक्षर हैं। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। जीप नं. आरजे 34 यूए 1912 को जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 से जप्त किया जिस पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। मोटरसाईकिल नं. आरजे 34 एसपी 5686 की फर्द डैमेज मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 9 है एवं उक्त मोटरसाईकिल की फर्द अस्थायी सुपुर्दगी प्रदर्श पी 10 मुर्तिब कर दोनों पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। मजरूबों का मेडिकल व एक्स–रे कराकर शामिल पत्रावली किया। घनश्याम को धारा 134. 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जो क्रमशः प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 12 है जिस पर गवाह के व घनश्याम के हस्ताक्षर व उसका जवाब है। मोटरसाईकिल नं. आरजे 34 एसपी 5686 व जीप नं. आरजे 34 यूए 1912 का मैकेनिकल मुआयना करवाकर शामिल पत्रावली किया जो क्रमशः प्रदर्श पी 13 व पी 14 है। बाद अनुसंधान मुलजिम घनश्याम के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 आईपीसी में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की जिसने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया कि उसको तफ्तीश दिनांक 24.09.2019 को दोपहर के समय मिली थी। तफ्तीश मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घ टनास्थल पर रामकेश मिला था और कौन था उसे ध्यान नहीं है। मोटरसाईकिल का चालक रामसहाय था, रामसहाय के शरीर पर जाहिरा चोटें होने का कथन किया। तुलसीराम के शरीर पर भी कई चोटें होने का कथन किया। चार्जशीट में गवाह क्रमांक 6 व 7 प्रकरण के स्वतंत्र गवाह होने का भी कथन किया।

18. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड 12 प्रमोद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 27.09.2019 को वह मंडरायल थाना पर तैनात था। मु.नं. 67/19 में उसने वाहन संख्या आरजे 34 यूए 1912 का मैकेनिकल मुआयना किया जिसके अनुसार वाहन के बाईं तरफ बम्पर मुडा हुआ था व बाईं तरफ का वाईजर टूटा हुआ था। वाहन के आगे पीछे नंबर प्लेट व दोनों साइड गिलास लगे हुए थे। पीछे का दाईं तरफ का इंडीगेटर टूटा हुआ था। एमआई रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 34 एसपी 5686 का मैकेनिकल मुआयना किया वाहन के आगे वाईजर पर रेड रंग से आर लिखा हुआ था, वाहन के पीछे की लाईट टूटी हुई थी व पीछे का लाईट कवर टूटा हुआ था व आगे पीछे नंबर अंकित थे। वाहन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, वाहन चलाने योग्य था। एमआई रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिस पर

उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया कि उसने दो वाहनों की एमआई बनाई थी। मोटरसाई का नंबर आरजे 34 एसपी 5686 होना बताया। गवाह ने यह भी कथन किया कि एमआई बनाते समय गवाह नहीं थे क्योंकि उसे बनाते समय गवाह की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

19. हस्तगत मामले में अभियोजन को निम्न लिखित तीन बिन्दुओं को साबित करना है।

विचारणीय बिन्दु सं. 1— क्या तथाकथित दुर्घटना वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा कारित की गई तथा बरवक्त दुर्घटना अभियुक्त घनश्याम दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को संचालित कर रहा था ?

विचारणीय बिन्दु सं. 2— क्या अभियुक्त घनश्याम द्वारा उक्त वाहन को लापरवाही व उतावलेपन से चलाया गया ?

विचारणीय बिन्दु सं. 3— क्या आहत ऋषिकेश, रामसहाय व तुलसीराम के साधारण व गंभीर चोटे अभियुक्त घनश्याम द्वारा लापरवाही व उतावलेपन से उक्त वाहन संचालित किये जाने के कारण कारित हुई ?

20. उक्त विचारणीय बिन्दु सं. 1 के संबंध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह समाधान करना है कि दुर्घटना वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा कारित की गई थी। इस संबंध में प्रकरण में परिवादी रामकेश ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में दुर्घटना जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा कारित करने के कथन किये है। परिवादी रामकेश ने अपने मुख्य परीक्षण में जीप चालक द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक जीप को चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मारने के कथन किये है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह आहत ऋषिकेश ने भी अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा कारित करने के कथन कर परिवादी रामकेश की साक्ष्य का समर्थन किया है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाह आहतगण रामसहाय एवं तुलसीराम जो प्रकरण में चक्षुदर्शी गवाह भी हैं दोनों ने ही अपनी मुख्य परीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाली जीप के नंबर 1912 बताए हैं, उक्त दोनों गवाहान ने परिवादी रामकेश की साक्ष्य का समर्थन किया है। प्रकरण में जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 की जप्ती प्रदर्श पी 8 का गवाह ठाकुरलाल न्यायालय के समक्ष पी.ड 9 के रूप में परीक्षित हुआ व फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 का अन्य गवाह शिवसिंह न्यायालय के समक्ष पी.ड 11 के रूप में परीक्षित हुए। उक्त दोनों गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को गवाहों के सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 के जप्त किए जाने का कथन किया। दोनों गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन किया गया है। दोनों गवाहों की साक्ष्य में कोई

महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त बिंदु के संबंध में परिवादी व अन्य महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य अखंडित रही है। अतः अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि दुर्घटना जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा कारित की गई थी।

21. अब न्यायालय को यह समाधान करना है कि वक्त दुर्घटना जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को अभियुक्त घनश्याम द्वारा चलाया जा रहा था। इस संबंध में परिवादी रामकेश ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को चालक घनश्याम द्वारा जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर कर आने व मोटर साईकिल के टक्कर मारने के कथन किए है। परिवादी रामकेश पी.डब्लयू 4 ने अपने मुख्य परीक्षण मे भी दुर्घटना कारित करने वाले जीप को अभियुक्त घनश्याम द्वारा चलाने के कथन किए हैं। प्रकरण के आहत घनश्याम ने परिवादी रामकेश द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में जीप चालक घनश्याम का होना बताया है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी गवाहान रामसहाय पी.ड 5 व तुलसीराम पी.ड 1 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। जिन्होंने भी अपनी मुख्य परीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को अभियुक्त घनश्याम द्वारा चलाना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के स्वतंत्र गवाह अतरसिंह पी.ड 6 व लक्ष्मण पी.ड 7 ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए गाडी को अभियुक्त घनश्याम द्वारा चलाए जाने के कथन किए हैं। उक्त समस्त गवाहों ने अभियोजन कहानी को सिद्ध किया है व परिवादी रामकेश की साक्ष्य का समर्थन किया है।

22. पत्रावली पर उपलब्ध धारा 133 एमवी एक्ट व 134 एमवी एक्ट के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 12 में अभियुक्त घनश्याम द्वारा दुर्घटना के वक्त जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को चलाने के कथन किये है व अनुसधांन अधिकारी द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस को अपनी साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Antersingh Vs State of Raj (2004) 10 SCC 657-2005 SCC (Cri)* 597 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्य की खोज में न केवल भौतिक वस्तु की साक्ष्य शामिल है, वरन अभियुक्त की जानकारी या ज्ञान भी तथ्य की खोज के तहत शामिल है। धारा 133 एमवी एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना कि बरवक्त घटना वह वाहन चला रहा था, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्य की खोज की अवधारणा को पूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि धारा 133 एमवी एक्ट के तहत दिये गये जवाब अभियुक्त ने किसी भय उत्पीडन, धमकी या दबाव के अधीन दिया हो, ना ही इस संबंध में

कोई सुझाव बचाव पक्ष द्वारा किसी गवाहान की जिरह के वक्त पूछा गया है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य अखंडित रही है। ऐसे में अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

23.विचारणीय बिंदु सं 02 :—

क्या अभियुक्त घनश्याम द्वारा उक्त वाहन को लापरवाही व उतावलेपन से चलाया गया ?

विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो परिवादी रामकेश ने अपने रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 के चालक द्वारा जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल को टक्कर मारने के कथन किये है व परिवादी रामकेश द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। प्रकरण में आहत ऋषिकेश पीडबल्यु 02, रामसहाय पीडब्ल्यू 5 व तुलसीराम पी.डब्ल्यू 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में जीप चालक द्वारा जीप को तेज गति व लापरवाही से लहराते हुए चलाकर मोटर साईकिल को टक्कर मारने के कथन कर परिवादी रामकेश के कथनों को समर्थन प्रदान किया है। गवाहों के बयानों में लघु व तुच्छ विरोधाभास अवश्य परिलक्षित हुआ है, किन्तु मात्र ऐसी सूक्ष्म विरोधाभास के आधार पर गवाह की साक्ष्य को नकारा नही जा सकता है। प्रकरण में इस बिन्दु के संबंध में गवाहान की साक्ष्य अखंडित रही है। परिवादी के तथ्यों की ताईद करते हुए प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पी.ड 6 व पी.ड 7 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त घनश्याम द्वारा गाडी को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल में टक्कर मारने के कथन किए हैं। इस प्रकार अभियोजन कहानी का समर्थन उक्त सभी गवाहान की साक्ष्य द्वारा किया गया है।

24. घटनास्थल के संबंध मे नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 के अवलोकन से दर्शित होता है कि जीप द्वारा मंडरायल से करणपुर को आने जाने वाले आम रोड खिरकन मोड के पास मोटरसाईकिल को टक्कर मारना व प्रकरण में परिवादी रामकेश पीडबल्यु 04, आहत ऋषिकेश पीडबल्यु 02, आहत रामसहाय पी.ड 5 व आहत तुलसीराम पी.ड 1 ने अपने न्यायालय के समक्ष कथनों में अभियुक्त द्वारा जीप को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाने के कथन किये है। एमआई रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 14 को साबित करने हेतु गवाह प्रमोद कुमार न्यायालय के समक्ष पी.डब्लयू 12 के रूप में परीक्षित हुआ है व गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 के बाएं तरफ के बम्पर का मुडा हुआ होने, बाईं तरफ का वाईजर टूटा हुआ होने, पीछे का दाईं तरफ का इंडीगेटर टूटा हुआ होने के

कथन किए हैं। उक्त गवाह द्वारा मोटरसाईकिल नंबर आरजे 34 एसपी 5686 का मैकेनिकल मुआयना भी किया गया जो प्रदर्श पी 13 है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में वाहन की पीछे की लाईट टूटी हुई होने व पीछे की लाईट का कवर टूटा हुआ होने के कथन किए हैं। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य व एमआई रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 14 इस तथ्य को समर्थन प्रदान करती है कि जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 द्वारा मंडरायल से करणपुर आने जाने वाले खिरकन मोड पर मोटरसाईकिल नंबर आरजे 34 एसपी 5686 के टक्कर मारी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 परिवादी रामकेश ने स्वंय के समक्ष बनाने के कथन किये है। नक्शा मौका का अन्य गवाह रामरज पी.ड 03 ने अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाए जाने के कथन किए हैं। उक्त दोनो गवाहान की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को बल प्रदान होता है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीकिशन जो पी.डबल्यु 10 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, ने नक्शा मौका गवाहान के समक्ष बनाने के कथन किये है।

25. इस प्रकार उपरोक्त आई साक्ष्य से परिवादी रामकेश पीडबल्यु 04, आहत ऋषिकेश पीडबल्यु 02 व चक्षुदर्शी गवाह रामसहाय व तुलसीराम पीडब्ल्यू 5 व पीडब्ल्यू 1 एवं प्रकरण के स्वतंत्र गवाह अतरसिंह पी.ड 6 व लक्ष्मण पी.ड 7 के साक्ष्य का कोई भी खडंन नही हुआ है। ऐसे में अभियोजन पक्ष बिंदु सं 02 को साबित करने मे सफल रहा है कि अभियुक्त घ ानश्याम द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को तेजगति व लापरवाही से चला रहा है।

<u>26. विचारणीय बिदु सं 03—</u>

क्या आहत ऋषिकेश, रामसहाय, तुलसीराम के साधारण व गंभीर चोटें अभियुक्त घ ानश्याम द्वारा लापरवाही व उतावलेपन से उक्त वाहन संचालित किये जाने के कारण कारित हुई ?

इस संबंध में परिवादी रामकेश पीडबल्यु 04 व आहत ऋषिकेश पीडब्ल्यू 02 व चक्षुदर्शी गवाह तुलसीराम पीडब्ल्यू 1 व रामसहाय पीडब्ल्यू 5 ने न्यायालय के समक्ष कथनो में जीप चालक द्वारा टक्कर मारने पर चोटें आने के कथन किये है। चिकित्सकीय गवाह डॉक्टर राजपाल मीना पीडबल्यु 08 ने आहत ऋषिकेश के शरीर पर आई चोटों का मेकिल मुआयना करने, चोटें होना, बाएं कूल्हे की चोट (चोट संख्या 1) एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के अनुसार गंभीर प्रकृति की होने के कथन किए व चोट नंबर 2 लगायत 7 साधारण प्रकृति की होने के कथन किए। उक्त गवाह ने आहत रामसहाय के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करने व उसके शरीर पर चोटें होने व चोट संख्या 1 लगायत 4 साधारण प्रकृति की होने के कथन किए है। उक्त गवाह द्वारा अन्य आहत तुलसीराम के शरीर पर आई चोटों का

मेडिकल मुआयना करने व उसके शरीर पर चोटें होने व चोट संख्या 1 लगायत 3 सामान्य प्रकृति की होने के कथन किए हैं। उक्त गवाह से किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह तथ्य सही होना बताया है कि उसके पास रेडियोलॉजिस्ट का डिप्लोमा डिग्री नहीं है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। वह मेडिकल ज्यूरिष्ठ और सर्जन है। उक्त गवाह द्वारा मजरूब ऋषिकेश की चोट संख्या 1 को एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के अनुसार गंभीर प्रकृति की होना बताया है, परंतु प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा एक्सरे प्लेट को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।

27. अब न्यायालय को यह समाधान करना है कि क्या अभियुक्त घनश्याम द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर आहत ऋषिकेश के गंभीर प्रकृति की चोट कारित की। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत– ***Ishtiyaq Ahmed Vs. State of Rajasthan And Others Ors. 2025 Live Law (Raj.) 367 Para 18*** में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि "For the purpose of determining the nature of injury, examination of the medical jurist, simplicitor would not be sufficient and the radiologist, based upon whose X-Ray report the medical jurist has given his evidence will be required to be examined and the X-Rays will be required to be exhibited for determining the actual nature of injury."

28. उक्त न्यायिक दृष्टांत क अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आहत ऋषिकेश के आई चोट संख्या 1 जो कि गंभीर प्रकृति की चोट है उसके संबंध में एक्सरे प्लेट को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। उक्त प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट को भी बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष्य परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः ऐसे में अभियोजन धारा 338 आईपीसी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

29. इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में लघु विरोधाभास विद्यमान है। परंतु इस संबंध में न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी सामग्री इस तथ्य को साबित करने हेतु पर्याप्त है कि अभियुक्त घनश्याम द्वारा जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मार आहत ऋषिकेश, रामसहाय व तुलसीराम के सामन्य प्रकृति की चोटें कारित कीं।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में परिवादी व आहतगण ने भी उक्त चोटें दुर्घटना कारित करने वाले वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 की टक्कर से आना बताया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिंदु को इस हद तक साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त घनश्याम द्वारा लापरवाही व उतावलेपन से उक्त वाहन संचालित किए जाने के कारण आहतगण ऋषिकेश, रामसहाय, तुलसीराम के साधारण चोटें कारित की हैं।

30. दौराने बहस बचाव पक्ष का मुख्य तौर पर तर्क रहा है कि गवाहान के न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में गंभीर विरोधाभास है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि उक्त घटना वर्ष 2019 की है व प्रकरण में गवाहान के न्यायालय में बयान वर्ष 2023 व 2025 में लेखबद्ध किए गए हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि गवाहों के बयानों में लघु विरोधाभास प्रकट हो । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी सामग्री अभियोजन कहानी को साबित करने हेतु पर्याप्त है। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

31. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 338 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह साबित करना था कि अभियुक्त द्वारा वाहन जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आहत ऋषिकेश के गंभीर प्रकृति की चोटें कारित कीं। परंतु प्रकरण में आहत ऋषिकेश के आई चोट संख्या 1 जो कि गवाह पी.ड 8 डॉ. द्वारा बाद अवलोकन एक्सरे रिपोर्ट गंभीर प्रकृति की होना बताया। परंतु अभियोजन द्वारा एक्सरे को प्रदर्शित नहीं करवाया ना ही रेडियोलॉजिस्ट को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त घनश्याम के विरुद्ध धारा 338 भा.दं.सं. के अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त घनश्याम को धारा 338 भा.दं. सं. के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

32. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी, आहतगण तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा एक समान स्वर में यही कथन किये गये है कि अभियुक्त घनश्याम द्वारा वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 34 एसपी 5686 को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के भाई व अन्य आहतगण के साधारण चोटें आयी। गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह मुख्य परीक्षा के कथनों पर अडिग रहे है तथा गवाहान की जिरह में गंभीर विरोधाभासी तथ्य नहीं आये है। इसके अतिरिक्त गवाहान की साक्ष्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है।

33. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि बरवक्त घटना अभियुक्त ही दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक था व अभियुक्त ने वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 34 एसपी 5686 को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के भाई व अन्य आहतगण के साधारण चोटें आयी। ऐसे में अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

" आदेश "

34. लिहाजा अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामचरण, उम्र 34 साल, निवासी कसेड, थाना करणपुर, जिला करौली, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 338 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है व धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं।

(गुंजन फौजदार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

—: दण्ड के बिन्दु पर :—

35.1 इस प्रकरण में दण्ड के प्रश्न पर विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

35.2 विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त मजदूर पेशा गरीब व्यक्ति हैं, उनका यह सामान्य प्रकृति का प्रथम अपराध है, उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, वह लगभग 8 वर्ष की कालावधि से इस प्रकरण की अन्वीक्षा यंत्रणा भुगतता चला आ रहा हैं, जिससे उन्हें काफी शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक वेदना हुई है, क्षणिक आवेश में यह घटना घटित हुई है। उनका यह प्रथम अपराध है, अतः दण्ड के संबंध में उनके प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये।

35.3 इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त द्वारा वाहन जीप नंबर आरजे 34 यूए 1912 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को

संकटापित करते हुए वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 34 एसपी 5686 को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के भाई ऋषिकेश व अन्य आहतगण रामसहाय, तुलसीराम के साधारण चोटें आयी। जिसके संदर्भ में उन्हें विधि द्वारा विहित कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

35.4 उक्त तर्कों पर विचारपूर्वक मनन किया गया। कारित अपराध एवं दिये जाने वाले दण्ड में युक्तियुक्त संबंध होना आवश्यक है, दिये जाने वाले दण्ड से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि तथ्यों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होना नहीं दर्शाया गया है, वह लगभग 8 वर्ष की कालावधि से इस प्रकरण की अन्वीक्षा यंत्रणा भुगतता चला आ रहा है, जिससे उन्हें काफी शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक वेदना हुई है, उनका यह प्रथम अपराध होना बताया गया है, अतः उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों व दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति को देखते हुए इन अपराधों के लिए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न कर धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत ''परिवीक्षा'' का लाभ दिया जाना विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है।

<u>–: दण्डादेश :–</u>

36. अतः अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामचरण, उम्र 34 साल, निवासी कसेड, थाना करणपुर, जिला करौली, राजस्थान को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. के लिए तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित न कर धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा 10,000/– रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका इस न्यायालय के पूर्णतः संतोषप्रद इस आशय का प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दिया जाये कि वे छः माह की कालावधि तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगा, इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिये आहूत किये जाने पर उपस्थित होकर सजा भुगतेगा, तो उसे तुरन्त ''परिवीक्षा'' पर छोड़ दिया जाये।

36.1 यह भी आदेश दिया जाता है कि धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त द्वारा 2,000/– रुपये अभियोजन व्यय के रूप में जमा करवाने होंगे।

36.2 धारा 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत अभियुक्त इस दोषसिद्धि के कारण किसी प्रकार की कोई निर्योग्यता धारण नहीं करेंगे।

36.3 प्रकरण में जब्तसुदा वाहन यदि सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जो सुपुर्दगीदार के पास

की रहे वाहन से संबंधित जमानतनामा, सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

36.4 अभियुक्त द्वारा धारा 437—ए द.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/— रुपये का मुलचका व इसी राशि की जमानत पूर्व में पेश कर तस्दीक करवाई गई।

36.5 निर्णय की एक प्रति अविलम्ब ई—कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(गुंजन फौजदार),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

37. निर्णय आज दिनाँक **06.07.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गुंजन फौजदार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली